

R Gajay

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. - 12, बी, विभीति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ



बैथिंग अवधि-31.12.2017 तक मान्य

दिनांक 14-8-14

सी-5/एन0310सी0-744/14

सदस्य संख्या.....

सेवा में,

श्री रतन हारिसिंग डेवलपमेंट लि0,
फ्लाट नं0-जीएच-1, जीएच-2, सेक्टर-12, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2017 तक मान्यता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का संकेत दें। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विभिन्न शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ संशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विभिन्न शर्तों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल:

श्री रतन हारिसिंग डेवलपमेंट लि0,
फ्लाट नं0-जीएच-1, जीएच-2, सेक्टर-12, वृन्दावन
योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

(ख) उत्पादन:

फ्लाट एरिया-16851 वर्गमीटर
ब्रिस्ट अप एरिया - 42,127.5 वर्गमीटर

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(संकेत-5)

क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० पर्यटन नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

प्रतिनिधि

तद दिनांक

/ एन. ओ. सी.

पुष्पांकन सं०

सदस्य सचिव

भवदीय,


सकता है।

कंपना ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विधिष्ठ शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विधिष्ठ एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

उपर्युक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवसृत की जा सकती है।

14 परियोजना में प्रस्तावित डी.जी. सेट पर मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जाये तथा डी०जी० सेट से जनित बेस्ट आयल प्राधिकृत संस्था को ही दिया जाये।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
BY Regd. Post
Restricted Height

AAI/NOC/2012/342/2038

Date : 06-09-2012

M/s Ratan Housing Development Ltd.
113/70, Swaroop Nagar,
Kanpur

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to APD letter no AAI/LK/OP-18/16-2012/12589-90 dated 06/07-8-2012 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the Construction of proposed Group Housing by M/s Ratan Housing Development Ltd herein after referred to as the applicant(s) at location GH-1 & GH-2, Sector-12, Lucknow U.P (Co-ordinates - 26 45 52 N 80 58 08 E) for a height of 31.00 Mts. (In figure) Thirty One Decimal Zero Meters (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 121.00 Mts (In figure) One Hundred Twenty One Decimal Zero Meters (site elevation) plus(+) 31.00 Mts. (In figure) Thirty One Decimal Meters (height of structure) = 152.00 Mts. (One Hundred Fifty Two Decimal Zero Meters) above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 121.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A, of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India (National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, munties, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

SITE IS EXAMINE w.r.t. SO 84 (E) CIVIL AERODROMES ONLY


(A.K. KALRA)

DY. GENERAL MANAGER (ATM) /NR

- Copy to:-
1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D
 2. Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International T-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi- 37.
 3. GM, Cargo Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.
 4. The Airport Director, Airports Authority of India, CA, Lucknow

DY. GENERAL MANAGER (ATM)



उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
वासुक्ला एवं निथान इकाई-युद्ध
नीलमिरी कामलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

दिनांक 31.5-2012

पत्रांक: 875 दि० प्र० 2011/26/ग० नि०-4/

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

भैरव रतन हाउसिंग डेवलपमेंट,

113/70 खकम नगर कानपुर ।

विषय:- गुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 12/GH-01 एवं 12/GH-02 वृन्दावन योजना में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 12, स्थित भूखण्ड सं० 12/GH-01 एवं 12/GH-02 हैं। निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 31.5.12 से 29.5.17 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अधिकतम संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निम्नलिखित प्रारम्भ किया जाता है। तब निम्नलिखित प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. एक स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 60,271.51 वर्गमी० (बैसमेंट+रिस्टल+09) तलों में से 18822.13 वर्गमी० (बैसमेंट+रिस्टल फ्लोर) तलों में से 16851.00 वर्गमी० के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बैसमेंट फ्लोर एवं रिस्टल फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एक.ए.आर. में आगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निम्नलिखित की सुविधाएँ प्रदान हेतु निम्नलिखित केवल बैसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है। बैसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निम्नलिखित स्वीकृत मानचित्र के अनुक्रम सुविधाएँ प्रदान करने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से प्लेट के पश्चात्) शेष निम्नलिखित 41449.38 वर्गमी० की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।)
7. भूखण्ड पर निम्नलिखित प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निम्नलिखित इकाई-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निम्नलिखित प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निम्नलिखित के पश्चात् तथा उपरान्त से पूर्व स्थानीय मुख्य अभियन्ता अधिकाारी, से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निम्नलिखित स्थान पर स्वीकृत मानचित्र का हिस्सा ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा संलग्न प्रारम्भ पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी दस्तावेजों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात् निम्नलिखित का प्रमाण पत्र ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्मित किया जायेगा।
11. भैरव रतन हाउसिंग डेवलपमेंट, लि०, द्वारा स्थल (सांठानिक)/भूमि अधिवासा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अन्वय करने की दशा में वह मानचित्र अवमूर्त होने की तिथि से देय शून्यक तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) माग पत्र निर्मित होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्गमी० क्षेत्रफल पर एक प्लेट की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हाउसिंग पद्धति की अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शान्तिनादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी / 2001 / (आ०ब०) दिनांक 3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी / 2001 / (आ०ब०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तों, सेट के एक मानचित्र के प्लेट मांगी पर धरणा की गयी है। निम्नलिखित अज्ञेय करना होगा।

31/5/12

वास्तुविद नियाजक/विशेष कार्याधिकारी

4. मुख्य अभिनयमान अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र - व सहित ।
अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
3. सहचयक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं-04 व 15 के संदर्भ में सूचनाएं एवं मलवा रखेगा ।
छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर ले कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं प्रपत्र-ग की एक प्रति सलान है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की मानदियों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्र के एक सेट सहित सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. अधीक्षण अभियन्ता-वृत्तवर्धन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्र० सं०:-

/ उक्त /

दिनांक:

वास्तुविद नियाजक/विशेष कार्याधिकारी

(अधीन दृष्ट)

31/5/12

1. आर्किटेक्चरल मानदियों का एक सेट (12 नमूने सीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (4 नमूने सीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट ।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप - ग ।

सलानक:

19. अभिनयमान अधिकारी लखनऊ के पत्रांक 1744 / एफ.एस. 12 दिनांक 16.05.12 की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है ।
18. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुक्रम स्थल पर किया जा रहा है ।
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर स्थानीय मुख्य अभिनयमान अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित करवाया जायेगा ।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिजिनेस कोड के मान [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अभिनयमान/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों को समग्र-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे ।
16. सकेगा ।
उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी० तक किया जा सकता है, अथवा छः महीने के अन्दर में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि गुप्त आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बंध

वास्तुविद निधीजक,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

नीलमिरी कामप्लेक्स इन्दिरानगर

लखनऊ

विषय:-

श्री रतन हाउसिंग द्वारा अंश0-12/जीएच71, एवं 12/जीएच-2 वृन्दावन योजना लखनऊ

प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्र संख्या-710/वा0नि0-4/नि0प्र0/11/26 दिनांक-07-5-2012 का सन्दर्भण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक स्थल भवन के प्रस्तुत मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण ए विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आर्डी द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आए:-

हैवानात संरचना के सम्बन्ध में:-

1-पहुँच मार्ग:-

ग्रुप हाउसिंग भवन 24 मीटर चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित है। पहुँच मार्ग मानक के अनुसार है।

2-प्रवेश व निकास मार्ग:-

भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 9.0 मीटर चौड़ाई का एक गेट बनाया जाना प्रस्तावित है। यदि गेट आर्क टाइप का बनाया जाए तो ऊँचाई 05.0 मीटर से कम न रखी जाए।

3-लाट एरिया व कवर्ड एरिया:-

प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का लाट एरिया 16851.0 वर्ग मीटर है। जिसमें तीन ब्लॉक क्रमशः "ए", "बी" व "सी" बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसका सम्पूर्ण ग्राउण्ड कवरेज 5601.13 वर्ग मीटर है।

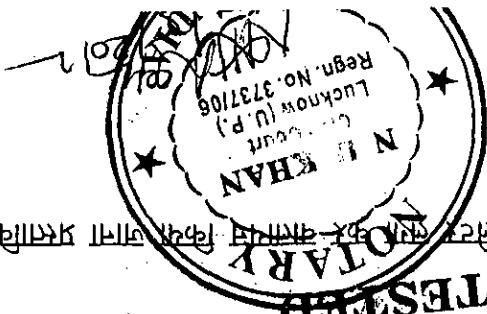
भवन के बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया 13221.0 वर्ग मीटर है।

4-ऊँचाई तथा सेटबैक:-

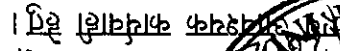
प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन बेसमेन्ट+रिस्ट व 11 अन्य तलों का प्रस्तावित है, तथा प्रत्येक ब्लॉक की ऊँचाई पैरापिट वाल को छोड़कर ऊँचाई 34.60 मीटर है। ऊँचाई के सापेक्ष ब्लॉक के चारों तरफ 9.0 मीटर व ब्लॉक के मध्य 10.0 मीटर सेटबैक छोड़ा जाना मानचित्र में अंकित है। जिसमें भवन ब्लॉक के चारों तरफ 6.0 मीटर अवरोध मुक्त मोटोरेबल सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

5-निकास मार्ग व फायर स्केप रूट :-

- भवन के प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो स्टेयर केश जिसमें प्रत्येक स्टेयर की पर फ्लाइट चौड़ाई 1.5 मीटर है। जिसमें से एक स्टेयर केश जो फायर स्केप के रूप में है, को फायर टवर के रूप में एन0बी0सी0-2005 एच-04 के अनुसार अनिवार्य होगा। ट्रेवलिंग डिस्टेंस मानक के अनुसार है।
- भवन के बेसमेन्ट में आने जाने के लिए 17 स्टेयर केश जिसकी पर फ्लाइट चौड़ाई 1.5 मीटर तथा दो स्केप प्रस्तावित है। बेसमेन्ट में ट्रेवलिंग डिस्टेंस मानक के अनुसार है।
- भवन में जो स्टेयर केश उपरी तलों से सीधे बेसमेन्ट में आ रही है, उन्हें रिस्ट पर ही स्मोक / फायर ब्रेक डोर लगाकर सुरक्षित किया जाए।
- भवन के बेसमेन्ट में प्राकृतिक / मैकेनिकल वेन्टीलेशन प्रदान करने वाला प्रस्तावित है।



LKW.
B.O.
Date



1. **കുടുംബശ്രീ**

(अकोटिपारव)

(३)